निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन 1941 (श0)
(सं0 पटना 1083) पटना, सोमवार, 23 सितम्बर 2019

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना
23 सितम्बर 2019

सं0 बी1–3–130/2019–**67**—बिहार विधान सभा का उप निर्वाचन, 2019 के अवसर पर 54–किशनगंज, 76–सिमरी बख्तियारपुर, 109–दरौंदा, 158–नाथनगर एवं 163–बेलहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या–100/पूर्व अनु०–1/बिहार–वि.स./8/2019 दिनांक 23.09.2019, अधिसूचना संख्या–100/पूर्व अनु०–1/बिहार–वि.स./10/2019 दिनांक 23.09.2019, अधिसूचना संख्या–100/पूर्व अनु०–1/बिहार–वि.स./9/2019 दिनांक 23.09.2019, अधिसूचना संख्या–100/पूर्व अनु०–1/बिहार–वि.स./12/2019 दिनांक 23.09.2019 एवं अधिसूचना संख्या–100/पूर्व अनु०–1/बिहार–वि.स./11/2019 दिनांक 23.09.2019 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा,
संयुक्त सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001, तारीखः– 23 सितम्बर, 2019/ 1 आश्विन, 1941 (शक)

100/पूर्व अनु0–1/बिहार–वि.स./10/2019 :– यतः बिहार राज्य की विधान सभा में **76–सिमरी बख्तियारपुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित **श्री दिनेश चन्द्र यादव** द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक **29 मई, 2019** से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप–निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा:–

(अ) बिहार राज्य से उक्त **76–सिमरी बख्तियारपुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार **27 अक्तूबर, 2019 (रविवार)** से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करे;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:–

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः	30 सितम्बर, 2019 (सोमवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः	01 अक्तूबर, 2019 (मंगलवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः	3 अक्तूबर, 2019 (बृहस्पतिवार)
(घ) **वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो** मतदान होगाः	21 अक्तूबर, 2019 (सोमवार)
(ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगाः	27 अक्तूबर, 2019 (रविवार)

नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से
आनन्द कुमार पाठक,
सचिव।

(प्ररूप) 1

(नियम 3 देखिये)

निर्वाचन की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :–

(1) 76–सिमरी बख्तियारपुर निर्वाचन क्षेत्र में लोक सभा/बिहार विधान सभा ....X....../ विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन होना है,

अथवा

(1) ....X.........................विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य सभा/............X............ विधान परिषद के सदस्य (सदस्यों) का निर्वाचन होना है।

(2) नामनिर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को या प्रेम कुमार यादव, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को अभ्यर्थी या (उसके किसी प्रस्थापक द्वारा) 23.09.2019 से 30.09.19 तक अपश्चात् (लोक अवकाश दिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे पूर्वाहन् और 3 बजे अपराहन् के बीच निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के कार्यालय प्रकोष्ठ में परिदत्त किये जा सकेगें,

(3) नामनिर्देशन पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान एवं समय पर अभिप्राप्त किये जा सकेगें,

(4) नामनिर्देशन पत्र संवीक्षा के लिए निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के कार्यालय प्रकोष्ठ में दिनांक 01.10.2019 को 11 बजे अपराहन् लिये जायेगें,

(5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी द्वारा या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा या उसके निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया हो उपर पैरा (2) में विनिर्दिष्ट आफिसरों में से किसी को उसके कार्यालय में दिनांक 03.10.2019 को 3 बजे अपराहन् के पूर्व परिदत्त की जा सकेगी,

(6) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में दिनांक 21.10.2019 को 07.00 बजे पूर्वाह्न से और 04:00 बजे अपराह्न के बीच मतदान होगा,

23/9/19

स्थान – सिमरी बख्तियारपुर
तारीख – 23.09.2019

रिटर्निंग आफिसर
76–सिमरी बख्तियारपुर
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

Scanned by CamScanner